



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1942 (श10)

(सं0 पटना 668) पटना बृहस्पतिवार 1 अक्तूबर 2020

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
24 सितम्बर 2020

सं० 3/वि0वि0प्रयो0-03/2016-गृ0आ0-6244—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक सह पठित पुलिस अधिनियम-2007 की धारा-15 एवं धारा-94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. **नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** -

- (i) यह नियमावली "विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग नियमावली, 2020" कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य से होगा तथा राज्य के सभी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं पर समान रूप से लागू होगा।
- (iii) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं।**—जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

- (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;
- (ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।;
- (iii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
- (iv) "चयन समिति" से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकार द्वारा गठित समिति।
- (v) "विभाग" से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा);
- (vi) "प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला ;
- (vii) "सदस्य" से अभिप्रेत है राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पद पर नियुक्त अथवा कार्यरत कोई व्यक्ति।
- (viii) "पैनल" से अभिप्रेत है चयन समिति द्वारा अनुसंधित उम्मीदवारों की सूची।

3. संवर्ग की संरचना।—

(i) इस संवर्ग का पदसोपान निम्नवत होगा:—

क्र०	पदनाम का नाम	कोटि	
1	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट), ग्रेड-I	मूल कोटि	अराजपत्रित
2	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट), ग्रेड-II	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
3.	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट), ग्रेड-III	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित

(ii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व स्वीकृत निम्नांकित पद कार्यालय परिचारी/परिचारी(विशिष्ट) ग्रेड-I के पद समझे जाएँगे तथा इन पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मी कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पदनामित समझे जाएँगे।

- (i) कार्यालय परिचारी
- (ii) चौकीदार
- (iii) झाड़ूकश
- (iv) फर्लाश
- (v) परिचारक
- (vi) दफ्तरी
- (vii) ट्रेजरी सरकार

निम्नलिखित पद परिचारी (विशिष्ट) पदनामित होंगे:—

- (i) पैकर
- (ii) प्रयोगशाला वाहक
- (iii) भीसरा कर्त्तक

इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग के समकक्ष कोटि में शामिल समझे जायेंगे।

III. इस संवर्ग के सभी कोटियों का वेतनमान वही होगा, जो राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

IV. राज्य सरकार इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल अवधारित कर सकेगी तथा इस हेतु स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी, अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगी।

4. अर्हता।—

समूह—“घ” के पदों पर सीधी भर्ती मूल कोटि के वेतनमान में होगी। भर्ती हेतु:—

- (i) उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।
- (ii) उम्मीदवारों का स्वस्थ होना एवं साईकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- (iii) कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पद पर संविदा के आधार पर विभाग में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कार्यरत व्यक्तियों को नियमित समान पद पर नियुक्ति में नियमानुसार उम्र-सीमा में छूट एवं अंक की अधिमानता दी जाएगी।

5. आयु सीमा।—

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जो राज्य सरकार/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

6. रिक्तियों का अनिवार्य विज्ञापन।—

नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रिल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार आकलन करेंगे तथा 30 अप्रिल तक तदनुसार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर चयन समिति को अधियाचना उपलब्ध कराएँगे। अधियाचना के आलोक में सीधी भर्ती हेतु चयन समिति विज्ञापन के द्वारा आवेदन आमंत्रित करेगी।

7. शुल्क।—उम्मीदवार को आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

8. आरक्षण/रोस्टर।—

नियुक्ति तथा प्रोन्नति में राज्य में तत्समय प्रवृत्त “बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों (अनु0जाति/अनु0जन0जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण अधिनियम, 1991” (समय-समय पर संशोधित) एवं तत्संबंधी अन्य प्रावधान तथा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु प्रवृत्त आरक्षण रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

9. चयन समिति।—

विभाग द्वारा पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे जो उम्मीदवारों के द्वारा मैट्रिक में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर समूह—“घ” में भर्ती हेतु पैनल तैयार करेगी।

10. चयन का आधार—।

- (I) अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एतदर्थ समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (II) चयन हेतु पूर्ण 100 अंक में से किसी अभ्यर्थी को प्राप्त अंक का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगा:—
 - (क) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक – 80 अंक
 - (ख) समान पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्यरत अवधि के लिए अधिकतम—20 अंक—कुल 80+20=100 अंक

नोट :-

- (i) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा से प्राप्त अंक का निर्धारण संबंधित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत से 0.8 के गुणक में गुणा कर निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणार्थ यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा में 60% अंक प्राप्त हुए हो, तो उस आधार पर इस 60X0.8 अर्थात् 48 अंक अनुमान्य होगा।
- (ii) समान पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्यरत प्रत्येक वर्ष के लिए 4 अंक (अधिकतम 20 अंक) अनुमान्य होंगे। किसी वर्ष के अंश के लिए अनुपातिक अंक अनुमान्य किया जाएगा अर्थात् मात्र 5 माह के लिए 5X4/12 अर्थात् 1.6 अंक अनुमान्य होगा।

11. परीक्ष्यमान अवधि/सम्पुष्टि।—

नियुक्ति के पश्चात संवर्ग के नवनियुक्त सदस्यों की परीवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी, जिसे अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर संबंधित कर्मों को सेवा—मुक्त किया जा सकेगा। परीवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा निर्धारित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, के सफलतापूर्वक पूरा किये जाने पर संबंधित कर्मों की सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी। परन्तु परीक्ष्यमान अवधि में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने पर यह सम्पुष्टि में बाधक नहीं होगा।

12. प्रशिक्षण।—

परीवीक्षाधीन अवधि में अथवा बाद में भी संबंधित कर्मों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13. प्रोन्नति।—

इस संवर्ग के मूल कोटि के उपर के पदों पर प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से दी जाएगी। प्रोन्नति में सरकार/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विभाग की सहमति से अलग आदेश से किया जाएगा।

14. अवशिष्ट मामले।—

- (i) जिन विषयों या बिन्दुओं के संदर्भ में प्रावधान इस नियमावली में विशिष्ट रूप से नहीं किया जा सका है उसके संबंध में राज्य सरकार में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए प्रवृत्त अनुदेश लागू होंगे।
- (ii) यदि इस नियमावली के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई हो तो, विभाग, विधि विभाग के परामर्श से ऐसी कठिनाई का निराकरण कर सकेगा।

15. निर्वचन।—

इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से लिया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

16. विनियमावली बनाने की शक्ति।—

इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विभाग की सहमति से विनियमावली का गठन किया जा सकेगा।

17. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

- (i) इस संवर्ग के संबंध में बिहार पुलिस हस्तक के नियम-1255 के अधीन परिशिष्ट-99 में विहित प्रावधान तथा समय-समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जाएँगे।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानों यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

ईश्वर चन्द्र सिन्हा,

सरकार के विशेष सचिव।

The 24th September 2020

No-BBP-03/2016-6244—The Governor of Bihar, Using the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India makes the following rules for office Attendant/Attendant (Special) of Forensic Science Laboratories of State of Bihar:-

1. Name, extension and commencement.—

- (i) This Regulation may be called “Forensic Science Laboratory Office Attendant/Attendant (Special) Cadre same Rules, 2020.
- (ii) It will extend to the entire state of Bihar and will be applicable equally to all the Forensic Science Laboratories of State of Bihar.
- (iii) It will come into force immediately.

2. Definitions :- Unless otherwise required, in this Regulation.—

- (i) ‘State Government’ means the Government of Bihar;
- (ii) ‘Appointing Authority’ means Additional Director General, Criminal Investigation Department, Bihar, Patna;
- (iii) ‘Cadre Controlling Authority’ means Director, Forensic Science Laboratories;
- (iv) ‘Selection Committee’ means a committee constituted by the Appointing Authority;
- (v) ‘Department’ Means Home Department (Police Branch), Government of Bihar;
- (vi) ‘Laboratory’ means Forensic Science Laboratories of State of Bihar;
- (vii) ‘Member’ means any person appointed or working in the office of Forensic Science Laboratories of State of Bihar on the post of an office attendant/attendant (special);
- (viii) ‘Panel’ means the list of candidates recommended by the Selection Committee.

3. Cadre structure.—

- (i) The hierarchy of this cadre will be as follows.—

S.No.	Name of the post	Grade	
1.	office Attendant/Attendant (Special), Grade-I	Basic Grade	Non-gazetted
2.	office Attendant/Attendant (Special), Grade-II	First Promotional Level	Non-gazetted
3.	office Attendant/Attendant (Special), Grade-III	Second Promotional Level	Non-gazetted

- (ii) Before application of this rule, following approved posts will be considered as office Attendant/Attendant (Special), grade-I posts and the personnel working against these posts will be designated as Attendant/Attendant (Special).

- (i) Following posts will be designated as Office Attendant.—

- (1) Office Attendant
- (2) Watchman
- (3) Jharukash
- (4) Farrash
- (5) Attendant
- (6) Daftari
- (7) Treasury Sarkar

- (ii) Following posts will be designated as Attendant (Special)

- (1) Packer
- (2) Laboratory Bearer
- (3) Viscera Cutter

Before implementation of this Manual, individuals appointed and employed in the above categories will automatically be considered to be in the equivalent category of this cadre.

- (iii) The pay scale of all categories of this cadre will be the same as determined from time to time by the State government (Finance Department).
- (iv) The State Government may determine the approved posts of various categories in this cadre and for this may also create permanent or temporary posts, or postpone or vacate any post.

4. Qualification.—

Direct recruitment to Group-D posts will be in the pay scale of the basic category.
For recruitment:—

- (i) The minimum educational qualification of the candidates will be tenth (matriculation) pass or equivalent.
- (ii) Candidates will have to be healthy and should have knowledge of cycling.
- (iii) The persons employed in the department on the basis of contract on the posts of Attendant/Attendant (Special) in the Forensic Science Laboratories will be given relaxation in the age limit and preference of marks in regular appointment on the similar post.

5. Age limit.—

The minimum age of the candidates will be 18 year and the maximum age will be as determined by the State Government/General Administration Department from time to time. Provided (i) that the upper age limit mentioned be relaxed for S.C/S.T and OBC.

6. Compulsory advertisement of vacancies.—

The appointing Authority on the basis of the position on 1st April every year will assess the vacancies category wise. On the basis of available vacancies requisition will be sent to the selection committee till 30 April. The Selection committee will invite application through advertisement for direct recruitment in the light of the requisition. In the official Gazetter or in such other manner, as may be deemed fit.

7. fee .—

The candidate shall be required to pay the fee as determined by the Commission.

8. Reservation/Roster:-

In the appointment and promotion, compliance with the “Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (For Scheduled Classes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991 (As amended from time to time) in the State and from time to time reservation roster in force for direct recruitment and promotion will be mandatory.

9. Selection Committee.—

A selection committee headed by Superintendent of police, Criminal Investigation Department Shall be constituted by the Department in which representative of Scheduled Caste/Scheduled Tribe, will also be involved, who will prepare a panel for Group “D” on the basis of marks obtained in the matric by candidates.

10. Basis of Selection.—

- (i) In the process of appointment of recommended candidates, the compliance with the instructions/ provisions issued from time to time by the General Administration Department will be ensured.
- (ii) For selection, out of the total 100 marks, the marks obtained by a candidate will be determined as follows:
 - A. Marks obtained in Matriculation/equivalent examination-80 marks
 - B. Maximum 20 marks for the period working under contract employment on the same post-Total 80+20=100 marks.

Note .—

- (i) Determination of marks obtained from matriculation/equivalent examination will be determined by multiplying the percentage of marks obtained in the relevant examination by a multiplier of 0.8 For example, if a candidate has got 60% marks in Matriculation/Equivalent Examination, then he will be awarded $60 \times 0.8 = \text{i.e. } 48$ marks.
- (ii) For each year working under contract on the same post, 4 marks (maximum 20 marks) will be applicable. Proportional marks will be approximated for the fraction of a year, i.e. $5 \times 4/12$ i.e. 1.6 marks for only 5 months.

11. Probation period/Confirmation.—

After the appointment, the probation period of newly appointed members of the cadre will be of two years, which may be extended for one more year for reasons that may be recorded. If the service is not found to be satisfactory even during the extended period,

the concerned personnel will be discharged. On successful completion of the probation period and the successful completion of prescribed training, if any, the service of the concerned personnel will be confirmed. But if on training is organized during probation period, this will not be a hindrance in confirmation.

12. Training.—

It will be compulsory for the concerned personnel to get the training prescribed by the State Government either during or after the probation period.

13. Promotion.—

The promotions for the above posts on the basic category of this cadre will be given with the recommendation of the Departmental Promotion Committee. In the promotion, the provisions of the instructions/circulars etc. issued by the Government/General Administration Department from time to time will be followed. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Appointing Authority with the consent of the Department by a separate order.

14. Residual cases.—

- (i) In relation to the subjects or points in which provision has not been made specifically in this Regulation, the instructions applicable to the employees of equivalent level in the State Government shall apply.
- (ii) If there is any difficulty in implementing any provision of this Regulation, the Department, in consultation with the Law Department, will redress such difficulties.

15. Interpretation.—

In case of doubt in relation to any provision of the Rules, the subject shall be directed to the Department and in this regard the decision taken by the Department in consultation with the Law Department will be final.

16. Power to make regulations.—

The Regulations can be made with the consent of the Department by the Appointing Authority to implement the provisions prescribed in this Regulation.

17. Repeal and saving.—

- (i) in relation to this cadre, the provisions prescribed in Appendix-99 under Rules-1255 of Bihar Police Manual and the Resolutions/Regulation/orders, etc. issued earlier from time to time shall be deemed to be repealed from the date of coming into force of this Regulation.
- (ii) Notwithstanding such repeal, any act or action taken in exercise of the powers conferred under resolutions/rules/orders etc. issued earlier, will be deemed to be an act or action taken by that regulation or in exercise of the power conferred there under and it will be as if this Regulation was enlightened on the date on which such work or such action was taken.

By order of Governor of Bihar,
ISHWAR CHANDRA SINHA.
Special Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 668-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>